बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
संकल्प

सं0–15/आरोप (अरवल) 02–17/2026–   (15)/रा0, पटना–15, दिनांक–..................

समाहर्त्ता, अरवल के पत्रांक–22 दिनांक–10.01.2026 द्वारा **श्रीमती विजया कुमारी, अंचल अधिकारी, अरवल सदर, अरवल** के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा **CWJC No**– 15026/2025 मो0 एजाजुल हक बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में दिनांक–23.09.2025 को पारित आदेश का अनुपालन नहीं करने, सरकार की अति महत्वाकाक्षी जनउपयोगी योजनाओं के निमित सरकारी भूमि का अनापति प्रमाण–पत्र निर्गत करने में उदासीन रवैया अपनाते हुए लापरवाही बरतने, दाखिल–खारिज के निष्पादन में FIFO के नियम का पालन नहीं करने, मनमाने ढंग से वकाश्त मालिक भूमि का दाखिल–खारिज अस्वीकृत/स्वीकृत करने, दाखिल–खारिज वाद सं0–72/2024–25 को बिना भूमि सुधार उप समाहर्त्ता के न्यायालय के आदेश के स्वीकृत करने, दाखिल–खारिज वाद सं0–108/2023–24 को अपने लॉगिन में लगभग 102 दिनों तक रखने के उपरांत निष्पादित करने, दिनांक–06.08.2024 तक कुल 1131 दाखिल–खारिज आवेदनों को लंबित रखने, राजस्व महा–अभियान के कार्यों में अभिरूचि नहीं लेने, आमजनों/जनप्रतिनिधियों से अभद्र व्यवहार करने, दलालों के माध्यम से कार्यालय कार्य कराने, समीक्षात्मक बैठकों में उपस्थित नहीं होने/भाग नहीं लेने, सरकारी दूरभाष पर उपलब्ध नहीं रहने, उच्चाधिकारियों के आदेशों की बार–बार अवहेलना करने एवं राजस्व कर्मचारियों का हल्का प्रभार में मनमाने ढंग से फेर–बदल करने संबंधी आरोप प्रतिवेदित है।

2. उक्त प्रतिवेदित आरोपों को विभाग स्तर पर पुनर्गठित करते हुए प्रतिवेदित आरोपों के संबंध में विभागीय पत्रांक–513(15), दिनांक–10.04.2026 द्वारा बचाव का लिखित अभिकथन की मांग की गयी, जिसके आलोक में श्रीमती कुमारी द्वारा अंचल कार्यालय, अरवल सदर के पत्रांक–769 दिनांक–04.05.2026 से अपना स्पष्टीकरण विभाग को समर्पित किया गया।

3. आरोप पत्र में प्रतिवेदित आरोपों एवं श्रीमती कुमारी से प्राप्त बचाव का लिखित अभिकथन के समीक्षोपरान्त अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा प्रतिवेदित आरोपों की सम्यक् जाँच के निमित्त अनुशासनिक कार्यवाही संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया।

4. अतएव अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्रीमती विजया कुमारी के विरूद्ध गठित आरोप पत्र में अंकित आरोपों की सम्यक जाँच हेतु बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथा संशोधित) के नियम–17(2) के प्रावधानों के तहत अनुशासनिक कार्यवाही संचालित की जाती है।

5. इस अनुशासनिक कार्यवाही के संचालन हेतु **अपर समाहर्त्ता, विभागीय जाँच, अरवल** को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है तथा जाँच/संचालन पदाधिकारी के समक्ष पक्ष प्रस्तुत करने हेतु **भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, अरवल** को उपस्थापन/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

6\. श्रीमती कुमारी से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के सम्बन्ध में अपना पक्ष रखने हेतु, जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दे, स्वयं उपस्थित रहेंगी।

आदेशः— आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति समाहर्त्ता, अरवल/अपर समाहर्त्ता, विभागीय जाँच, अरवल/भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, अरवल/श्रीमती विजया कुमारी, अंचल अधिकारी, अरवल सदर, अरवल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ भेज दी जाए।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/—
(संजय कुमार सिंह),
सरकार के उप सचिव।

स्पीड—पोस्ट
ई—मेल

ज्ञापांक—15/आरोप (अरवल) 02—17/2026—..........................(15)/रा0, पटना—15, दिनांक—..............................

प्रतिलिपिः— समाहर्त्ता, अरवल/भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, अरवल/श्रीमती विजया कुमारी, अंचल अधिकारी, अरवल सदर, अरवल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/—
(संजय कुमार सिंह),
सरकार के उप सचिव।

स्पीड—पोस्ट

ज्ञापांक—15/आरोप (अरवल) 02—17/2026—........................(15)/रा0, पटना—15, दिनांक—....................

प्रतिलिपिः— अपर समाहर्त्ता, विभागीय जाँच, अरवल को अभिलेख की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2\. निदेशित किया जाता है कि विभागीय कार्यवाही **अविलम्ब** प्रारम्भ करते हुए ससमय जाँच प्रतिवेदन मंतव्य सहित तीन प्रतियों में उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

अनु0— आरोप पत्र साक्ष्य सहित एवं स्पष्टीकरण की छायाप्रति।

ह0/—
(संजय कुमार सिंह),
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक—15/आरोप (अरवल) 02—17/2026—1206(15)/रा0, पटना—15, दिनांक—07/8/26

प्रतिलिपिः— माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/कनीय प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा—3/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (**वै0दा0नि0को0**) विभाग, बिहार, पटना (**मूल प्रति में**)/आई0टी0/मैनेजर (विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ), राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

7/8/26
(संजय कुमार सिंह),
सरकार के उप सचिव।

D:\2026_Jiten\Departmental Proceeding (Sankalp)_2026\Vijaya kumari_CO(Arwal sadar).doc